रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2009/वैशाख 14, 1931
No. 262] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2009/VAISAKHA 14, 1931

रक्षोपाय महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2009

प्रारंभिक निष्कर्ष

विषय : भारत में सादा पार्टिकल बोर्ड के आयातों के बारे में रक्षोपाय जांच ।

सा.का.नि. 306(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियम, 1997 को ध्यान में रखते हुए ।

1. **प्रक्रिया**

(i) मै. शिरडी इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. बजाज ईओ-टैक प्रोडक्ट लि. (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) ने यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा दिनांक 29-7-1997 की अधिसूचना सं. 35/97-एन.टी.-सी.शु. के तहत अधिसूचित सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान तथा निर्धारण) नियम, 1997 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार महानिदेशक के समक्ष दिनांक 23 मार्च, 2009 को एक आवेदन दायर किया है जिसमें घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुँचाने वाले और गंभीर क्षति पहुँचाने का खतरा उत्पन्न करने वाले भारत में सादा पार्टिकल बोर्ड के संवर्धित आयातों का आरोप लगाया गया है। इस याचिका का समर्थन मै. नोवापैन इंड. लि.; मै. आर्किडप्लाई इंड. लि., मै. पारालाम ग्लोबल प्रा. लि., मै. पटेल केनवुड प्रा. लि., मै. दर्शनबोर्ड लैम लि., मै. शिवधान बोर्ड्स प्रा. लि., मै. बेकलाइट हायलम लि. एवं मै. ग्रीन प्लाई इंड. लि. ने किया है।

(ii) आवेदन के प्रारंभिक जांच से कुछ कमियों का पता चला था जिन्हें आवेदकों ने सुधार दिया था । आवेदकों ने अद्यतित तथा विधिवत प्रलेखित आवेदन दायर किया ।

(iii) विधिवत सत्यापन के बाद यह देखा गया था कि संवर्धित आयातों, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे एवं संवर्धित आयातों तथा आरोपित क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जिससे जांच की शुरुआत न्यायोचित ठहरती है। तदनुसार, इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात में ऐसी परिस्थितियों में वृद्धि हुई है जिनमें रक्षोपाय शुल्क को लगाने को न्यायोचित ठहराने हेतु घरेलू उद्योग को क्षति या गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हुआ है, जाँच शुरू करने का निर्णय लिया गया था ।

(iv) भारत में सादा पार्टिकल बोर्ड के आयातों के बारे में रक्षोपाय जांच की शुरुआत की सूचना 22 अप्रैल, 2009 को जारी की गई जिसे अधिसूचना सं. डी-22011/26/2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया है ।

(v) जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति नई दिल्ली स्थित दूतावासों के जरिए निर्यातक देशों की सरकारों को भेजी गई है।

(vi) जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति समस्त निम्नलिखित ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को भेजी गई है ।

घरेलू उत्पादक

(क) शिरडी इंड. लि., रूद्रपुर
(ख) बजाज इको- टैक प्रोडक्ट्स लि.
(ग) नोवापैन इंड. लि., हैदराबाद
(घ) पारालाम ग्लोबल प्रा. लि., नागपुर
(ड.) कैनवुड प्रा. लि., भरूच
(च) आर्किडप्लाई इंड. लि., बंगलौर
(छ) शिवधान बोर्ड्स प्रा. लि., नागपुर
(ज) बेकलाइट हायलम लि., सिकंदराबाद
(झ) ग्रीन प्लाई इंड. लि., रूद्रपुर
(ट) कुशल डेकोर लि., सिकंदराबाद
(ठ) दर्शनबोर्ड एल लैम लि., सूरत
(ड) ऋचा पार्टिकल प्रा. लि., मातर
(ढ) सिलिकॉन ज्वेल इंड. प्रा. लि., भरूच

आयातक/उपभोक्ता

प्लाई प्वाइंट 15/228, कोडमपुझा रोड, पेट्टा, फैरोक, कोझिकोड, केरल	श्रीवारी ट्रेडर्स 136/53बी ऊँटी मैन रोड ओडनथुराई, मेट्टुपलायम, तमिलनाडु
लेबल सेल्स कार्पो. इंद्रधनुष अपार्टमेंट शॉप नं. 7, 8 एवं 9 टी डी रोड, कोचीन, केरल	कृष्णा प्लाई बोर्ड 34, कामराज रोड, करूर, तमिलनाडु
थमारापल्ली ब्रदर्स एक्सएल/499 उषा किरण एम. जी. रोड, एर्णाकुलम, कोचीन, केरल	कलिंगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. 18/777 कलाई रोड कालिकट, केरल
जैक्सन्स वेनीर्स एंड पैनल्स प्रा. लि. एक्सएल/499 उषा किरण एम. जी. रोड, एर्णाकुलम, कोचीन, केरल	डिस्ट्री प्लाइवुड डिस्ट्रिब्यूटर्स आर नं. 148, सीई-34/640 स्टेडियम कॉम्प्लैक्स कन्नौर, केरल
मैथ्युसंस् एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स प्रा. लि. 42/2158, प्रथम तल मैथ्यू सन्स बिल्डिंग, कलूर कोचीन, केरल	फैरोक बोर्ड्स लि. वीपी 4/394, पी > ओ, कारड फैरोक कॉलेज वाया-मालापुरम, केरल
आर जे मेटल्स एक्सएल/4039 फाबा कॉम्प्लैक्स ज्यूज़ स्ट्रीट, एर्णाकुलम, कोचीन, केरल	

निर्यातक

ब्राइपैनल इंड. एसडीएन बीएचडी बुकित पसीर इंड. एस्टेट मुआर, जोहर मलेशिया	ग्रीन रिवर पैनल्स (थाइलैंड) कं. लि. 222 मू 4, टी थचांग, ए. बैंकुलम, सोंगखला थाइलैंड जिपः 90110
ब्राइपैनल इंड. एसडीएन बीएचडी बुकित पसीर इंड. एस्टेट मुआर, जोहर मलेशिया	जेनेटिक कार्पो. लि. 778, (वेयरहाउस 7), कैरोएनाकॉर्म रोड बैंगपाकॉक, रैटबर्ना बैंकॉक-थाइलैंड
बिज सप्लाई कं. लि. 234-कक्ष ए 108, राजा रिसॉर्ट बिल्डिंग, सोई रैचडा 16, रैचडापीसेक, हुकियावेंग, बेंगकॉक, थाईलैंड	फाइडरर एजी कार्पोरेट ह्यूमन रिसोर्सेज इंगोलस्टाडर स्ट्रीट 51 डी 92318 न्यू मार्केट- जर्मनी
थर्मोपाल जीएमबीएच वर्जासर स्ट्रीट 32 88299 ल्यूटकिरच आईएम अलगाऊ जर्मनी	विलहेम मेंडे जीएमबीच एंड कं. पी.ओ. बॉक्स 1513, 37505 ओस्टरोड-जर्मनी
तफीसा एसए रोंडा डी पोनिएंटे, 6-बी, सैंट्रो एम्पीसेरियल यूरोनोवा ट्रैस केंटस 28760 मैड्रीड, स्पेन	एन्नोवती ग्रुपो ट्रोमबिनी एसपीए 10060 फ्रोसास्को (टीओ)-इटली-वाया पिसिना 13
चिमिका पोम्पोनेस्को एसपीए वाया डेन इंडस्ट्री 1, पोम्पोनेस्को- 46030, इटली	फिन्सा स्कारिफ, को क्लेयर, आयरलैंड
लिनोपेन एनवी उईजेमस्ट्राट 16 8710 वील्सबेक-बेल्जियम	बल्कान एस ए पी. ओ. बॉक्स 10310, थैसेलोनिकिस-वैरोलास रोड, थेसेलोनिकिस, जीआर-57011, ग्रीस

vii. प्रश्नावलियाँ समस्त ज्ञात घरेलू उत्पादकों, ज्ञात निर्यातकों और ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं को भी भेजी गई थी और उनसे 30 दिन के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है ।

vii. विदेशी उत्पादकों, भारतीय आयातकों/उपभोक्ताओं, भारतीय उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों से माँगी जा रही सूचना पर अंतिम निर्धारण पर विचार किया जाएगा ।

2. घरेलू उद्योग के विचार

घरेलू उद्योग अर्थात् मै. शिरडी इंड. लि. और मै. बजाज इको-टैक प्रोडक्ट्स लि. तथा समर्थनकर्ताओं, जिनका इस उत्पाद के घरेलू उत्पादन में बड़ा हिस्सा है, ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं ।

(i) वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद " लकड़ी या अन्य काष्ठ सामग्री का पार्टिकल बोर्ड, ओरिएण्टेड स्ट्रांड बोर्ड (ओएसबी) तथा इसी प्रकार के बोर्ड (उदाहरणार्थ वैफर बोर्ड) चाहे वे रेजिन या अन्य जैविक बंधनकारी पदार्थों से संपीडित हों या नहीं (जिसे आगे पार्टिकल बोर्ड या उक्त उत्पाद कहा गया है) है जो सीमाशुल्क उपशीर्ष 4410 के अंतर्गत आता है । " तथापि पृष्ठावरण या कागज से लैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड अथवा डेकोरेटेड लेमिनेट के बोर्ड क्षोपाय शुल्क के अधीन प्रस्तावित दायरे में नहीं आते हैं । इस उत्पाद को कई वाणिज्यिक नामों से भी जाना जाता है जिनमें सादा/अपरिष्कृत/रंगीन पार्टिकल/फाइबर पार्टिकल/बैगास/बाँस/जूट/पैनल बोर्ड शामिल हैं । यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के उप-शीर्ष सं. 4410 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है ।

(ii) भारत में संबद्ध उत्पाद के आयात जो वर्ष 2005-06 में 5362 मी. टन/माह के हुए थे, वर्ष 2006-07 में 4752 मी. टन/माह के हुए थे । वर्ष 2007-08 में यह बढ़कर 5429 मी. टन/माह हो गए और तत्पश्चात् आयात कीमतों में वृद्धि के साथ अप्रैल, 08-दिसंबर, 08 में बढ़कर 9180 मी. टन/माह हो गए । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इस अवधि के दौरान घरेलू कीमतें आयात कीमतों से कम रही थीं । वर्तमन मंदी शुरू होने से आयातों में तेजी से वृद्धि शुरू हुई ।

(iii) वर्तमान अप्रत्याशित तथा असामान्य वैश्विक आर्थिक मंदी के रूप में अप्रत्याशित परिस्थितियों में उत्पाद की वैश्विक माँग में भारी गिरावट आई है जिससे आयात कीमतों में कमी आई है और परिणामतः भारत में आयातों में अचानक वृद्धि हुई है जिनमें अभी भी सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है ।

(iv) आयातों में पर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि के दौरान शामिल उत्पाद के घरेलू उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है ।

(v) आवेदकों ने दो वर्ष के लिए क्षोपाय शुल्क का अनुरोध किया । इसके अलावा, आपात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक ने अनंतिम क्षोपाय शुल्क तुरंत लागू करने का अनुरोध किया है ।

(vi) मलेशिया, थाइलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल जैसे सभी विकासशील देशों से आयातों पर क्षोपाय शुल्क लगाया जाए क्योंकि इन देशों ने या तो विगत में या वर्तमान में भारी मात्रा में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है । इसके अलावा, इन देशों में भविष्य में भी निर्यात करने की क्षमता अधिक क्षमता है । क्षोपाय शुल्क खासकर दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया से हुए आयातों पर लगाया जाना चाहिए । इसकी वजह यह है कि इन देशों के उत्पादकों ने उक्त उत्पाद की आपूर्ति हेतु हाल ही में कई ऑर्डर बुक किए हैं और इनके पोसलदान भारत में आने शुरू हो गए हैं ।

3. महानिदेशक की जांच परिणाम

(क) तुरंत क्षोपाय शुल्क लगाने के मुद्दे की जांच की गई थी । यह पाया गया है कि 29.03.1995 और 12.11.2008 के बीच की अवधि के दौरान डब्ल्यूटीओ को कुल 168 क्षोपाय संबंधी जांच शुरूआतों की सूचना दी गई है । यह पाया गया है कि इनमें से 15 मामलों में क्षोपाय जांच की शुरूआत के 30 दिन के भीतर अनंतिम क्षोपाय की सिफारिश की गई है/उन्हें लागू किया

गया है । कुछ मामलों में जांच शुरूआत की तारीख को भी अनंतिम क्षोपाय की सिफारिश की गई है । दिनांक 11.06.2002 की अधिसूचना सं. 34/2002-एनटी-सी.शु. के तहत जारी सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट क्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 के नियम 9 में यह निर्धारित है कि महानिदेशक जांच की कार्यवाही तुरंत शुरू करेगा और निर्णायक परिस्थितियों में वह गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बारे में प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज कर सकता है । जांच को शासित करने वाले सिद्धांत सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट क्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 के नियम 9 में निर्धारित हैं जो नियम 9 से स्वतंत्र है । सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट क्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 के नियम 15 में जांच संपन्न होने के बाद पहले से अधिरोपित और संग्रहीत अनंतिम शुल्क से कम क्षोपाय शुल्क लगाए जाने के मामले में क्षोपाय शुल्क में अंतर की वापसी का प्रावधान है । उक्त नियम के नियम 6, 9 और 15 के सुमेलित पाटन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नियमों में प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर अनंतिम क्षोपाय शुल्क की तुरंत सिफारिश करने और इस बात की पुष्टि होने के बाद कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए नियम 6 के तहत जांच सम्पन्न होने के बाद लगाया गया शुल्क अनंतिम क्षोपाय शुल्क से कम है तो उसके अंतर को वापस करने का प्रावधान है तथापि निर्णायक परिस्थितियों में अनंतिम क्षोपाय शुल्क लगाए जाने में होने वाले किसी विलंब से ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई करना कठिन होगा । यह विवेकपूर्ण माना गया था कि इन परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या वे आपात परिस्थितियों की श्रेणी में आती हैं ।

(ख) **विचाराधीन उत्पाद :** वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद " लकड़ी या अन्य काष्ठ सामग्री का पार्टिकल बोर्ड, ओरिएण्टेड स्ट्रांड बोर्ड (ओएसबी) तथा इसी प्रकार के बोर्ड (उदाहरणार्थ बैफर बोर्ड) चाहे वे रेजिन या अन्य जैविक बंधनकारी पदार्थों से संपीडित हों या नहीं (जिसे आगे पार्टिकल बोर्ड या उक्त उत्पाद कहा गया है) है जो सीमाशुल्क उपशीर्ष 4410 के अंतर्गत आता है । " तथापि पृष्ठावरण या कागज से लैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड अथवा डेकोरेटेड लेमिनेट के बोर्ड क्षोपाय शुल्क के अधीन " उक्त उत्पाद " के दायरे में नहीं आते हैं । इस उत्पाद को कई वाणिज्यिक नामों से भी जाना जाता है जिनमें सादा/अपरिष्कृत/रंगीन पार्टिकल/फाइबर पार्टिकल/बैगास/बाँस/जूट/पैनल बोर्ड शामिल हैं । यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के उप-शीर्ष सं. 4410 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है ।

(ग) **घरेलू उद्योग :** भारत में ऐसे कई उत्पादक हैं जिनके पास विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है अर्थात् मै. शिरडी इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. बजाज ईओ-टैक प्रोडक्ट लि., मै. नोवापैन इंड. लि., मै. आर्किडप्लाई इंड. लि., मै. पारालाम ग्लोबल प्रा. लि., मै. पटेल केनवुड प्रा. लि., मै. दर्शनबोर्ड लैम लि., मै. शिवधान बोर्ड्स प्रा. लि., मै. बेकलाइट हायलम लि. एवं मै. ग्रीन प्लाई इंड. लि. ने किया है । यह आवेदन मै. शिरडी इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. बजाज ईओ-टैक प्रोडक्ट लि. ने दायर किया है । मै. नोवापैन इंड. लि., मै. आर्किडप्लाई इंड. लि., मै. पारालाम ग्लोबल प्लाई, मै. पटेल कैनवुड प्रा. लि., मै. दर्शनबोर्ड लैम लि., मै. शिवधान बोर्ड्स प्रा. लि., मै. बैकलाइट, हायलम लि. एवं मै. ग्रीन प्लाई इंड. लि. ने याचिका का समर्थन किया है । आवेदक और समर्थकों का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है ।

(घ) **समग्र रूप में संवर्धित आयात :** आवेदकों ने दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए डीजीसीआई एंड एस द्वारा संकलित आयातों से संबंधित सूचना प्रदान की है । परवर्ती अवधि के लिए सूचना आईबीआईएस द्वारा संकलित सूचना पर आधारित है । दोनों ही सूचनाएं सौदा-दर-सौदा आधार पर उपलब्ध कराई गई है । चूँकि इस सूचना में विभिन्न वस्तुओं के आयात शामिल थे, इसलिए इस सूचना को विचाराधीन उत्पाद एवं अन्य उत्पादों के आयातों में विभक्त किया गया था

और विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर ही विचार किया गया है । विचाराधीन उत्पाद के आयात निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

	आयात मात्रा	आयात प्रति माह	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि/गिरावट	भारतीय उत्पादन	भारतीय उत्पादन प्रति माह	उत्पादन की तुलना में आयात
	सीबीएम	सीबीएम		सीबीएम	सीबीएम	%
2005-06	64,343	5,362		66,707	5,559	96.46
2006-07	57,030	4,752	-11.4%	101,331	8,444	56.28
2007-08	65,152	5,429	14.2%	130,887	10,907	49.78
अप्रैल-दिस. 08	82,621	9,180	69.1%	107,807	11,979	76.64

इस प्रकार, यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक, अत्यधिक, अप्रत्याशित तीव्र वृद्धि प्रदर्शित हुई है । इसके अलावा, यह भी देखा जाता है कि अप्रैल, 08 तथा दिसंबर, 08 में उत्पादन में कुछ वृद्धि होने के बावजूद भारतीय उद्योग ने हाल के वर्ष में आयात या माँग में पर्याप्त बाजार हिस्सा गँवाया है । ऐसा आयातों द्वारा संवर्धित माँग का बाजार हिस्सा हड़प लिए जाने के कारण हुआ है ।

(ड.) **भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में संवर्धित आयात-** इस बात की जांच की गई थी कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारत में उत्पादन तथ खपत की तुलना में वृद्धि हुई है । निम्नलिखित तालिका में वास्तविक स्थिति दी गयी है ।

वर्ष		2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिस. 08
आयात (मी. टन)	1	64,343	57,030	65,152	82,621
भारतीय उत्पादन (मी. टन)	2	66,707	101,331	130,887	107,807
कुल उपलब्ध मात्रा (मी. टन)	3=1+2	131,050	158,360	196,039	190,428
आयात का हिस्सा %	4=1/3	49.10	36.01	33.23	43.39
घरेलू उत्पादन का हिस्सा %	5=2/3	50.90	63.99	66.77	56.61
घरेलू उद्योग की बिक्री	6	20,143	44,780	64,710	43,665
आबद्ध खपत	7	45,849	59,803	62,403	64,906
भारत में खपत	8=1+6	130,135	161,613	192,266	191,193
खपत/माँग में बाजार हिस्सा					
आयात	9=1/8	49.37	35.29	33.89	43.21
भारतीय उद्योग	10=(6+7)/8	50.63	64.71	66.11	56.79

यह देखा जाता है कि वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच आयातों की मात्रा 61,000 सीबीएम या 5000 सीबीएम प्रतिमाह के औसत से 57,000 से 65,000 सीबीएम के बीच लगभग स्थिर रही है । यद्यपि इस अवधि में भी आयात कम कीमत पर हुए थे तथापि, घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की आक्रामक कीमत निर्धारण द्वारा इन आयातों से प्रतिस्पर्धा और इनका मुकाबला कर रहा था तथा यह कीमत उत्पादन लागत से भी कम रही थी (जैसाकि लाभ/हानि के पृथक् विश्लेषण से देखा जा सकता है) । इस प्रकार, घरेलू उद्योग वित्तीय घाटे के बिना पर बाजार में वृद्धि बनाए रखने में समर्थ रहा । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि इन पार्टियों, जो सादा बोर्ड की लेमिनेटिंग कर रही हैं

और उसके बाद बाजार में घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, द्वारा आयात किए जा रहे हैं । साथ-ही-साथ ये पार्टियाँ घरेलू उद्योग से सादा बोर्डों की खरीद कर रही हैं, उनकी लैमिनेटिंग कर रही हैं और तत्पश्चात् घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं । इस प्रकार, वर्ष 2007-08 तक जब आयातों की सूचना दी जा रही थी तो उनकी कीमत कम थी और आयात में वृद्धि प्रदर्शित नहीं हो रही थी । तथापि, वर्तमान अवधि अर्थात् अप्रैल-दिसंबर, 2008 में केवल 9 माह की अवधि में वर्ष 2005 एवं 2007-08 के बीच लगभग 61000 सीबीएम की औसत से आयातों की मात्रा अत्यधिक बढ़कर अचानक 82,621 सीबीएम हो गई (पूर्ववर्ती तीन वर्षों और पूर्ववर्ती वर्ष दोनों की तुलना में लगभग 69% की वृद्धि) । परिणामतः यद्यपि आयातों में इस वृद्धि से घरेलू उत्पादक देश के भीतर पर्याप्त क्षमताएँ मौजूद होने के बाद भी मांग में वृद्धि के अनुपात में अपना उत्पादन बढ़ाने में समर्थ नही रहे जबकि आयातों का बाजार हिस्से में वर्ष 2007-08 तक गिरावट आ रही थी (घरेलू उत्पादकों के आक्रामक कीमत निर्धारण के कारण) तथापि आयातों से भारत में खपत की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 08 की अवधि में आयातों के बाजार हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई और घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में परिणामी गिरावट आई तथा अप्रैल-08 एवं दिसंबर, 08 में भारतीय उत्पादन और खपत दोनों की तुलना में आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई । परिणामतः घरेलू उत्पादकों। कुल उपलब्धता में आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 2007-08 में 34% से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर, 2008 में 44% हो गया (अर्थात् केवल नौ माह की अवधि में 27% से अधिक की वृद्धि) जबकि भारत में माँग/खपत के संबंध में यह लगभग 50% से बढ़कर 65% हो गया (नौ माह की अवधि में पुनः लगभग 30% की वृद्धि) । इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा आक्रामक कीमत निर्धारण (घाटे पर कीमत निर्धारण किए जाने के कारण) वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच आयात के हिस्से में भारत में कुल उपलब्धता तथा खपत दोनों के संबंध में भारी गिरावट आई है तथापि, वर्तमान अवधि में आयात की मात्रा में भारत में कुल उपलब्धता और खपत दोनों के संबंध में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । आयातों में उसी घाटे वाली कीमत पर उत्पाद की बिक्री जारी रखने पर भी वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में भी वृद्धि हुई है जिससे गंभीर क्षति हुई है ।

(च) **अप्रत्याशित घटनाक्रम** : आयातों से संबंधित सूचना और ऊपर किए गए उल्लेख से यह देखा जाता है कि उत्पाद के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है । आवेदकों ने इस व्यापार में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिकाओं/समाचार बुलेटिनों के आधार पर यह दावा किया है कि (क) इस उत्पाद के वैश्विक उत्पादकों ने उत्पाद की माँग में अत्यधिक गिरावट का सामना किया है, (ख) उत्पाद की माँग में गिरावट अचानक एवं अप्रत्याशित वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण आई है, (ग) संबद्ध वस्तु का उत्पादन इस प्रकार का है कि उत्पादक वांछित सीमा तक उत्पादन को विनियमित नहीं कर सकते हैं (यह शुरू और बंद किए जाने वाला कार्यकलाप नहीं है), (घ) वैश्विक उत्पादक सामग्री को बेचने के अत्यधिक दबाव में हैं, (ड.) अत्यधिक कीमत संवेदनशील बाजार होने के कारण किसी उत्पादक द्वारा एक बार कम कीमत पर आपूर्ति का प्रस्ताव किए जाने की स्थिति में दूसरों के पास अपनी कीमतें कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि वर्तमान आर्थिक मंदी के कारण विचाराधीन उत्पाद की माँग में अंतर्राष्ट्रीय रूप से गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के वैश्विक उत्पादकों के पास अभूतपर्वू और असामान्य बेशी क्षमताएँ रह गई हैं । इससे वैश्विक उत्पादक बाजार तलाश्ने के लिए बाध्य हुए हैं । इससे उत्पाद की कीमत में अचानक और पर्याप्त गिरावट आई है । विशाल भारतीय उच्च कीमत संवेदनशील बाजार विदेशी उत्पादकों की पसंद बन रहा है जिससे कम कीमत के आयातों में भारी वृद्धि हो रही है ।

यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उपर्युक्त अप्रत्याशित घटनाक्रम भारतीय रक्षोपाय कानूनों और डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अर्थ के भीतर आते हैं ।

(झ) **गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति का खतरा-** इस बात की जांच की गई है कि क्या उक्त वस्तु के संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है । इस बात की भी जाँच की गई थी कि क्या उक्त वस्तु के संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हुआ है । उक्त वस्तु के आयातों में समग्र रूप में तथा भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में अचानक और पर्याप्त वृद्धि देखी गई है । यह नोट किया जाता है कि आयातों में भारी वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ है क्योंकि ग्राहक आयात कीमत के समान कीमतों की माँग कर रहे थे । घरेलू उद्योग अपनी लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है ।

(क) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के संबंध में नियमों में निम्नानुसार उपबंध है-

> महानिदेशक अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करेगा ।

नियमावली के अनुबंध में निम्नानुसार प्रावधान है

> इस बात का निर्धारण करने कि क्या संवर्धित आयातों से किसी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या उसका खतरा उत्पन्न हुआ है, से संबंधित जांच में महानिदेशक उक्त उद्योग की स्थिति पर खासकर समग्र एवं तुलनात्मक रूप में संबंधित वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर और उसकी मात्रा, संवर्धित आयातों द्वारा प्राप्त घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री स्तर में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि और रोजगार के स्तर में परिवर्तन के रूप में प्रभाव डालने वाले तथ्यपरक एवं अनुमेय स्वरूप के समस्त संगत कारकों का मूल्यांकन करेगा ।

जैसाकि डब्ल्यूटीओ द्वारा अवधारित किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि नियमों में सूचीबद्ध प्रत्येक मापदण्ड से क्षति प्रदर्शित होनी चाहिए । यदि एक या अधिक मापदण्ड निष्पादन में पर्याप्त विकृति प्रदर्शित करते हैं तो यह मानने के लिए पर्याप्त होगा कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है ।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक और पर्याप्त वृद्धि देखी गई है । आयातों में वृद्धि की दर और मात्रा समग्र रूप में और तुलनात्मक रूप में काफी अधिक है । जहाँ तक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले संवर्धित आयातों के प्रभाव का संबंध है, इसका विश्लेषण नीचे किया गया है ।

(ख) **कीमत प्रभाव-** इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों द्वारा बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती की जा रही है, आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ की गई है । आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के आयात उन्हीं पार्टियों द्वारा मुख्यतः किए जा रहे हैं जो सादे बोर्ड की खरीद घरेलू एवं

आयातित स्रोतों से कर रही हैं और बाद में लेमिनेटिंग कर बाजार में उसकी बिक्री कर रही हैं । अतः घरेलू उत्पादकों के पास आयात कीमतों की बराबरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । आवेदकों ने दावा किया कि अब तक घरेलू उत्पादक अपने उत्पाद की आक्रामक कीमत द्वारा आयात मात्रा को उसी स्तर पर रोकने में समर्थ रहे थे । यह देखा जाता है कि वर्ष 2005-06 और 2006-07 के बीच आयात मात्रा स्थिर रही है । साथ-ही-साथ घरेलू उत्पादक भारी वित्तीय घाटा उठा रहे हैं । ऐसा अत्यधिक वित्तीय घाटे के कारण हुआ है । घरेलू उत्पादक समान स्तर पर आयात मात्रा को रखने में रहे थे । तथापि, जब घरेलू उत्पादकों ने अपनी कीमत में वृद्धि नहीं की है (वस्तुतः कीमतों में अप्रैल-दिसंबर, 08 की अवधि में गिरावट आई है), तथापि आयात मात्रा में अप्रैल-दिसंबर, 08 की अवधि में वृद्धि हुई है । यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा कीमतों की बराबरी करने और देश के भीतर पर्याप्त अप्रयक्त क्षमताएँ होने के बावजूद आयातों में पर्याप्त वृद्धि हई है । इस प्रकार, यह देखा जाता है कि आयातों से घरेलू उत्पादक उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य हुए हैं जिससे भारी वित्तीय घाटा हुआ है ।

कम कीमत के आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग उत्पादन लागत से भी कम कीमत रखने के लिए बाध्य हुआ है । यह नोट किया जाता है कि कम कीमत और देश में क्षमता में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद चालू वर्ष में आयात मात्रा में वृद्धि हुई है । इस प्रकार, यह देखा जाता है कि आयातों का देश में घरेलू उद्योग में उत्पाद की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इससे उस सीमा तक घाटा हुआ है कि घरेलू कीमतें लागत कीमत से कम रखी गयी हैं । यदि कम कीमत के कारण आयातों में वृद्धि नहीं हुई होती तो घरेलू उत्पादकों का क्षमता उपयोग और उनकी लागत काफी अधिक रही होती तथा परिणामी हानि काफी कम रही होती ।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आयातों से कम कीमत के संबंध में घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है ।

(ग) **उत्पादन-** भारतीय उत्पादकों द्वारा उक्त उत्पाद का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 66707 सीबीएम से बढ़कर 2006-07 में 101331 सीबीएम और 2007-08 में पुनः बढ़कर 130887 सीबीएम हो गया । अप्रैल-दिसंबर, 2008 (नौ माह की अवधि) में उत्पादन मामूली बढ़कर 107807 सीबीएम हो गया था ।

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-078	अप्रैल-दिस.,08
क्षमता (सीबीएम)	132,380	227,500	289,000	312,625
उत्पादन (सीबीएम)	66,707	101,331	130,887	107,807
➢ आवेदक	-	2,667	27,411	33,524
➢ समर्थक	66,707	98,664	103,476	74,283
उत्पादन प्रति माह (आवेदक + समर्थक)	5,559	8,444	10,907	11,979

यह नोट किया जाता है कि आवेदक कंपनियों और अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा नई क्षमता जोड़ी गई है । इसके अलावा, उत्पाद की माँग में भी वृद्धि हुई है । अतः उत्पादन में कुछ वृद्धि प्राकृतिक परिदृश्य था । तथापि, यह नोट किया जाता है कि उत्पादन में वृद्धि दर माँग में वृद्धि दर से भी कम रही थी । दूसरे शब्दों में संवर्धित माँग को आयातों ने हड़प लिया था जिससे घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग करने से वंचित हुआ ।

उठाया है और भारतीय उत्पादक घाटे वाली कीमत पर बिक्री कर रहे हैं ।

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-078	अप्रैल-दिसंबर '08
बिक्री (सीबीएम)	20143	44780	64710	43665
➢ आवेदक	0	2366	8206	10066
➢ समर्थक	20143	42414	56504	33599
बिक्री प्रति माह (आवेदक + समर्थक)	1679	3732	5393	4852

च. **बाजार हिस्सा :** आवेदकों और समर्थकों का बाजार हिस्सा आबद्ध खपत सहित वर्ष 2005-06 में 50.63%, 2006-07 में 43.98% और 2007-08 में 64.71% था । तथापि, बाजार हिस्सा अप्रैल-दिसंबर, 08 में तेजी से घटकर 66.11% हो गया । वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि देश में और ऐसी माँग पूरी करने वाले भारतीय उत्पादकों द्वारा नई क्षमताओं के जोड़े जाने की वजह से हुई है । तथापि, अप्रैल-दिसंबर, 08 की अवधि में बाजार हिस्सा घटकर 56.79% हो गया । वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि देश में नई क्षमताएँ जोड़कर तथा भारतीय उत्पादकों द्वारा ऐसी माँग की पूर्ति कर की गई है । अप्रैल-दिसंबर, 2008 की अवधि में घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई और आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई तथापि ऐसा आयातों में अचानक और पर्याप्त वृद्धि के कारण हुआ ।

वर्ष	आयातों का बाजार हिस्सा	आवेदकों + समर्थक का माँग में बाजार हिस्सा
2005-06	50.63%	49.37%
2006-07	64.71%	35.29%
2007-08	66.11%	33.89%
अप्रैल-दिसंबर 08	56.79%	43.21%

छ. **लाभ/हानि :** घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है । यद्यपि घरेलू उद्योग पूर्व में कुछ समय तक क्षतिपूर्ण घाटा उठा रहा था (आवेदकों ने दावा किया कि भारतीय उत्पादक कुछ समय से आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और भारतीय उत्पादकों द्वारा रखी गई कम कीमत से आयातों में अब तक होने वाली वृद्धि से बचाव हुआ है) तथापि घाटे में अब भारी वृद्धि हुई है । इसके अलावा, और महत्वपूर्ण रूप से घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित घाटा उठाने वाली कीमतों के बावजूद यह नोट किया जाता है कि आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है ।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल 08–दिस. 08
लाभ/हानि					
बिक्री की प्रति इकाई	रू./सीबीएम	(7,072)	(3,965)	(4,502)	(4,720)
➢ आवेदक	लाख रू.	-	(263)	(949)	(1,327)
➢ समर्थक	लाख रू.	(1,425)	(1,512)	(1,964)	(734)
➢ आवेदक एवं समर्थक	लाख रू.	(1,425)	(1,775)	(2,913)	(2,061)

टिप्पणीः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वित्तीय घाटे का द्योतक हैं ।

(घ) **क्षमता उपयोग-** यह नोट किया जाता है कि आवेदकों और अन्य भारतीय उत्पादकों ने देश में नई क्षमताएँ जोड़ी हैं । अतः क्षमता वृद्धि की तुलना देश में उत्पाद की वर्तमान और संभावित माँग के साथ की गई थी । आवेदकों ने दावा किया कि संबद्ध वस्तु की माँग में अब तक 30% से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित हो रही थी और इस कारण यह वृद्धि इस दर से कम-से-कम अधिक रहेगी कि प्राकृतिक लकड़ी की खपत में कमी की जानी चाहिए और अभियांत्रिक लकड़ी की खपत बढ़ानी चाहिए और ऐसा करते समय घरेलू एवं वैश्विक पर्यावरणिक मुद्दों पर ध्यान रखा जाना चाहिए । इस प्रकार क्षमता में वृद्धि देश में उत्पाद की वर्तमान और संभावित माँग के स्पष्ट तौर पर उत्तर में की गई थी तथापि यह पाया गया है कि आवेदकों और भारतीय उत्पादकों, दोनों के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा । इसके अलावा, यह देखा गया है कि आयातों में अचानक अत्यधिक वृद्धि होने के कारण अप्रैल-दिसंबर, 2008 में क्षमता उपयोग में भारी कमी आई है ।

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-078	अप्रैल-दिसंबर '08
भारतीय उत्पादकों की क्षमता	132,380	227,500	289,000	312,625
माँग/खपत	130,335	161,613	192,266	191,193
क्षमता उपयोग (%)				
➢ आवेदक		23.19	39.73	31.81
➢ समर्थक	50.39	45.68	47.03	35.84
➢ आवेदक + समर्थक	50.39	44.54	45.29	34.48

उस क्षमता उपयोग के स्तर का पता लगाया गया था जिसे आयातों में वृद्धि न होने की स्थिति में समग्र घरेलू उत्पादकों ने प्राप्त किया होता । इस प्रयोजनार्थ, घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में अप्रैल-दिसंबर, 2008 में हुई आयात वृद्धि आनुपातिक आधार पर जोड़ी गई थी । यह नोट किया गया था कि अप्रैल-दिसंबर, 2008 में घरेलू उत्पादकों ने क्षमता उपयोग का वही स्तर रखा है जैसाकि उन्होंने 2007-08 में प्राप्त किया था । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अप्रैल-दिसंबर, 2008 में क्षमता उपयोग में गिरावट आयातों में वृद्धि के कारण आई थी ।

ऐसी किसी स्थिति से जहाँ उत्पाद की माँग में वृद्धि होती है और घरेलू उद्योग द्वारा तुलनीय कीमतों पर उत्पाद की बिक्री किए जाने पर भी घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आती है, स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है ।

ङ. **घरेलू बिक्री-** भारतीय उत्पादकों द्वारा उक्त उत्पाद की घरेलू बिक्री वर्ष 2005-06 में 20143 सीबीएम से बढ़कर 2006-07 में 44780 सीबीएम और 2007-08 में आगे और बढ़कर 64710 सीबीएम हो गई । अप्रैल-दिसंबर, 2008 (इस बात पर विचार करने के बाद कि ये बिक्रियाँ केवल 9 माह के लिए हैं) में बिक्री अत्यधिक घटकर 43665 सीबीएम रह गई । माँग में अत्यधिक वृद्धि और घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कम कीमतों के बावजूद घरेलू बिक्री में गिरावट आई । जहाँ तक आवेदकों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आवेदकों की बिक्री में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । तथापि, उनकी बिक्री में यह वृद्धि देश में माँग में हुई वृद्धि से कम रही है । आवेदकों ने दावा किया है कि वे आयात कीमतों से प्रतिस्पर्द्धा करते हुए अथवा उसी प्रकार के अंतिम उपभोक्ताओं के अनुरूप कीमतों का प्रस्ताव कर रहे हैं । इस प्रकार, जब कीमतों का प्रस्ताव तुलनीय होता है तो बिक्री मात्रा में वृद्धि माँग में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं हो रही है । इसके विपरीत, अन्य भारतीय उत्पादकों ने बिक्री गँवायी है । समग्र आधार पर घरेलू उत्पादकों ने माँग में वृद्धि होने के बाद भी आयात बढ़ने के कारण अप्रैल-दिसंबर, 2008 में बिक्री मात्रा में नुकसान

ज. **रोजगार :** आवेदकों ने दावा किया है कि देश में कड़े नियमों एवं विनियमों के कारण कम्पनियों में स्थायी रोजगार में अल्पावधि में कमी नहीं की जा सकती ।

झ. **उत्पादकता :** घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता उत्पादन के अनुरूप रही है । इस अवधि में उत्पादकता में गिरावट आई है । तथापि, जहाँ लाभप्रदता को प्राप्त सर्वोत्तम स्तर पर माना गया है वहीं आवेदकों को वित्तीय घाटा हुआ है ।

ट. **मालसूची :** इस अवधि के दौरान आवेदकों के पास उक्त उत्पाद की मालसूचियों में वृद्धि हुई है । आवेदकों ने दावा किया है कि वे बाजार में अपने उत्पाद की माँग पर विचार करते हुए उत्पादन विनियमित कर रहे हैं ।

ठ. **गंभीर क्षति के बारे में निष्कर्ष :** यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उत्पादक इतनी कम कीमतों पर पेशकश कर रहे हैं (ये लागत कीमत से भी कम हैं) कि उन्हें संबद्ध वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री में वित्तीय घाटा हो रहा है तथापि कम कीमत के आयातों के कारण वर्तमान अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है । परिणामतः यद्यपि घरेलू उत्पादकों ने क्षमताएँ बढ़ाई हैं/जोड़ी हैं तथापि वे माँग में वृद्धि के अनुपात में उत्पादन बढ़ाने में समर्थ रहे हैं और लगातार कम कीमत पर हो रहे आयातों के कारण संवर्धित माँग लगभग पूरी हो रही है । इसके विपरीत, उत्पादन एवं बिक्री मात्रा में हानि हुई है । इसके अलावा, यद्यपि वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि हो रही थी । तथापि, अप्रैल-दिसंबर, 2008 में आयातों में वृद्धि होने के कारण आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई और घरेलू उत्पादकों के हिस्से में गिरावट आई । घरेलू उद्योग को सतत् रूप से पर्याप्त वित्तीय घाटा हुआ और यह घाटा हाल की अवधि में और अधिक हो गया है जिससे लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है ।

ड. **संवर्धित आयात तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध :** -

आयातों में वृद्धि और गंभीर क्षति से संबंधित सूचना से यह देखा जाता है कि वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच आयातों की मात्रा कमोबेश स्थिर रही है । यद्यपि घरेलू उद्योग उचित कीमत प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा तथापि, घरेलू उत्पादक उत्पादन, बिक्री एवं क्षमता उपयोग को बढ़ाने में समर्थ रहे थे । परिणामतः आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई और घरेलू उत्पादकों के हिस्से में वृद्धि हुई । इससे विगत में भी और बाद में एक ओर आयातों के इसी स्तर पर रहने और दूसरी ओर घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि होने के कारण घरेलू उत्पादकों द्वारा घाटे पर की जा रही बिक्री का स्पष्ट समाधान होता है । तथापि अप्रैल-दिसंबर, 2008 की अवधि में आयातों में अचानक और पर्याप्त वृद्धि हुई और वह भी तब जब घरेलू उत्पादकों ने क्षमताओं में वृद्धि की थी, घरेलू उत्पादकों के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में पर्याप्त गिरावट आई है । घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आगे और गिरावट आई जिससे लगाई गई पूंजी पर आय में और अधिक गिरावट आई । इस प्रकार, आयातों में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग के निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है । अतः यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है ।

ढ. **अन्य कारक :** यह नोट किया जाता है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को हुई क्षति प्रतीत नहीं होती है ।

ज. **विकासशील देश :** भारत में आयातों का हिस्सा । मलेशिया, थाइलैंड, स्पेन और बांग्लादेश से हुए आयात 3% से अधिक रहे हैं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है ।

स्रोत	मात्रा सीबीएम	हिस्सा
3% से अधिक		
मलेशिया	50402	61.00%
थाइलैंड	15397	18.64%
बांग्लादेश	4141	5.01%

चूँकि अन्य सभी विकासशील देशों से उत्पाद के निर्यात का एक साथ हिस्सा भारत में कुल आयातों के 9% से कम रहा तथापि, दिनांक 12.12.1998 की अधिसूचना सं. 103/98 (यथासंशोधित) द्वारा अधिसूचित अन्य सभी विकासशील देशों से हुए विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर मलेशिया, थाइलैंड और बांग्लादेश को छोड़कर रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं हो सकता । तथापि यदि उस अवधि जिसमें रक्षोपाय शुल्क लागे हो, के दौरान केवल एक माह में अन्य विकासशील देश से उक्त उत्पाद के निर्यात में भारत में उक्त उत्पाद के कुल आयातों के 3% से अधिक वृद्धि होती है तो यह निर्णय लेने के लिए कि क्या ऐसे देश से हुए आयातों पर भी रक्षोपाय शुल्क लागू किया जाना चाहिए, नियमों में परिकल्पित समीक्षा की जा सकती है ।

त. **समायोजन योजना** - घरेलू उद्योग को उम्मीद है कि निम्नलिखित उपायों द्वारा दो वर्ष के भीतर उसकी उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी आ जाएगी ।

लकड़ी की खपत एवं लकड़ी की कीमतों में कमी- आवेदकों ने दावा किया है कि वे लकड़ी की खपत और लकड़ी की कीमतों में संभावित कमी हेतु मशीन आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं । आवेदकों ने दावा किया है कि उन्हें यह समझाया गया है कि विदेशी उत्पादकों की खपत भारत में होने वाली खपत से कम है । आवेदकों को यह भी समझाया गया है कि विदेशों में लकड़ी की कीमतें भारत में कीमतों की तुलना में कम हैं ।

परिवर्तन लागत में कमी- घरेलू उद्योग परिवर्तन लागत में कमी करने की कदम उठाने के लिए प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं ।

आवेदकों द्वारा प्रदत्त समायोजन योजनाओं की जांच की गई है । यह नोट किया गया था कि प्रस्तावित समायोजन योजनाओं के साथ आवेदक अपनी लागत में पर्याप्त कमी करने में समर्थ होंगे जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकेगा-

	लकड़ी	रेजिन	विद्युत	परिवर्तन लागत
वर्तमान				
➢ खपत	1.48	0.12	280	
➢ दर	2500	17000	4.5	
योजनाबद्ध/लक्षित				
➢ खपत	1.332	0.108	252	
➢ दर	1993	15000	4.11	
लागत पर प्रभाव				
➢ चालू	3,700	2,040	1,260	8,260
➢ उद्योग के लिए प्रस्तावित निवल बचत	2,655	1,620	1,036	7,434 2,515

इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने ऐसी समायोजन योजना तैयार की है जिससे वे प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे । आवेदकों द्वारा तैयार की गई समायोजन योजना की आगे जांच की जाएगी ।

थ. **आपात परिस्थितियाँ :** घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति को पूर्ववर्ती पैराग्राफों में विस्तार से स्पष्ट किया गया है । आयातों में अचानक वृद्धि होने से घरेलू उत्पादकों की बिक्री और परिणामतः उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है । वस्तुतः घरेलू उत्पादकों की क्षमता उपयोग में निचले स्तर तक गिरावट आई है । अतः आयातों में वृद्धि होने से भारत में उत्पादन क्षमताएँ निष्क्रिय हो गई हैं । घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त वित्तीय घाटा हो रहा है । संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारत में कई कंपनियों द्वारा किया जाता है और इस प्रकार, आयातों में वृद्धि होने से संयंत्र बंद हो सकते हैं ।

(द) उपर्युक्त के मद्देनजर आपात परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनमें अनंतिम रक्षोपाय तुरंत लागू करने का औचित्य बनता है ताकि घरेलू उत्पादकों को ऐसी क्षति से बचाया जा सके जिसकी भरपाई रक्षोपाय लागू करने में किए जाने वाले विलंब की स्थिति में कठिन होगी ।

(ध) **निष्कर्ष एवं सिफारिश :** (क) उपर्युक्त प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर यह देखा जाता है कि उक्त उत्पाद के संवर्धित आयातों से गंभीर क्षति हुई है । आपात परिस्थितियाँ, जिनमें रक्षोपाय लागू किए जाने में किसी विलंब से ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई करना कठिन होगा, विद्यमान हैं जिनके तहत गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे का अंतिम निर्धारण होने तक 200 दिन की अवधि के लिए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क तुरंत लागू करना जरूरी है । घरेलू उत्पादकों द्वारा उक्त उत्पाद के उत्पादन की औसत लागत (गोपनीय), आवेदकों के लिऐ आकलित लगाई गई पूंजी पर आय (आरओसीई), आयात शुल्क के वर्तमान स्तर तथा विचाराधीन उत्पाद की औसत आयात कीमत, अंतिम प्रयोक्ता के हित पर विचार करते हुए घरेलू उत्पादकों तथा अन्य सभी हितबद्ध पार्टियों के हित की सुरक्षा करने के लिए उक्त उत्पादों के आयातों के लिए 30% के अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को न्यूनतम अपेक्षित अनंतिम रक्षोपाय शुल्क माना जाता है और उसे सीमाशुल्क टैरिफ उपशीर्ष 4410 के अंतर्गत वर्गीकृत लकड़ी या अन्य काष्ठ सामग्री का पार्टिकल बोर्ड, ओरिएण्टेड स्ट्रांड बोर्ड (ओएसबी) तथा इसी प्रकार के बोर्ड (उदाहरणार्थ बैफर बोर्ड) चाहे वे रेजिन या अन्य जैविक बंधनकारी पदार्थों से संपीडित हों या नहीं (जिसे आगे पार्टिकल बोर्ड या उक्त उत्पाद कहा गया है) जिसे सादा/अपरिष्कृत/रंगीन पार्टिकल/फाइबर पार्टिकल/बैगास/बाँस/जूट/ पैनल बोर्ड नाम से भी जाना जाता है, के आयातों पर लागू करने की सिफारिश की जाती है । तथापि पृष्ठावरण या कागज से लैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड अथवा डेकोरेटेड लेमिनेट के बोर्ड पर कोई रक्षोपाय शुल्क लागू न करने का प्रस्ताव है ।

(ख) तथापि, जिन आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है या लागू होगा, ऐसे आयात के लिए रक्षोपाय शुल्क उपर्युक्त पैरा ध(क) में प्रस्तावित अनंतिम रक्षोपाय शुल्क और लागू पाटनरोधी शुल्क के बीच का अंतर होगा । इसके अलावा, जिन आयातों के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क अनंतिम रक्षोपाय शुल्क से अधिक होगा, ऐसे आयात पर कोई रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं किया जाएगा ।

(न) **आगे की प्रक्रिया :**

(क) विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यकतानुसार सत्यापन किया जा सकता है जिसके बारे में उन्हें अलग से सूचना दी जाएगी ।

(ख) अंतिम निर्धारण करने से पूर्व यथासमय सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी जिसकी तारीख के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी ।

(ग) इस प्रारंभिक जांच परिणाम पर हितबद्ध पार्टियाँ **05th जून, 2009** को या उससे पूर्व अपने विचारों से महानिदेशक को अवगत करा सकती हैं ।

[फा. सं. डी-22011/26/2009]

एस. एस. राणा, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2009

Preliminary Findings

Sub. : Safeguard investigation concerning imports of Plain Particle Board into India.

G.S.R. 306(E).—Having regard to Customs Tariff Act, 1975, as amended, and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty), Rules, 1997 thereof;

1. Procedure:

(i) M/s. Shirdi Industries Ltd and M/s Bajaj Eco-Tec Products Ltd (hereinafter referred to as applicants) filed petition on 23rd March, 2009 before the Director General in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended and Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 notified vide Notification no. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997 (hereinafter referred to as Rules), alleging increased imports of Plain Particle Board in India causing serious injury and threat of serious injury to the Domestic producers. The petition has been supported by M/s Novapan Industries Ltd, M/s Archidply Industries Ltd, M/s Paralam Global Pvt.Ltd, M/s Patel Kenwood Pvt.Ltd, M/s Darshanboard Lam Ltd, M/s Shiv Dhan Boards Pvt.Ltd, M/s Bakelit Hylam Ltd and M/s Greenply Industries Ltd.

(ii) Preliminary scrutiny of the application showed some deficiencies, which were rectified by the applicants. The applicants filed updated and duly documented.

(iii) After due verification, it was seen that there is sufficient prima facie evidence regarding increased imports, serious injury or threat of serious injury and a causal link between increased imports and alleged injury or threat of serious Injury to justify initiation of investigations. Accordingly, it was decided to initiate investigations to determine whether imports of the product under consideration have increased under such circumstances as to

cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry to justify imposition of safeguard duty.

(iv) Notice of initiation of safeguard investigation concerning imports of Plain Particle Board into India was issued on 22nd April 2009 and was published in Extraordinary Gazette of India vide notification no. D-22011/26/2009.

(v) A copy of initiation notification has been sent to Governments of exporting countries through their embassies in New Delhi

(vi) A copy of the initiation notification has been sent to all known interested parties as under:

Domestic producers:-

(a) Shirdi Industries Ltd, Rudrapur
(b) Bajaj eco-tech products Ltd.,
(c) Novapan Industries Ltd, Hyderabad
(d) Paralam Global Pvt.Ltd, Nagpur
(e) Kenwood Pvt.Ltd, Bharuch
(f) Archidply Industries Ltd, Bangalore
(g) Shiv Dhan Boards Pvt.Ltd, Nagpur
(h) Bakelit Hylam Ltd, Secunderabad
(i) Greenply Industries Ltd, Rudrapur
(j) Kushal Décor Ltd, Secunderabad
(k) Darshanboard L Lam Ltd, Surat
(l) Richa Particle Pvt.Ltd, Matar
(m) Silicon Jewel Industries Pvt.Ltd, Bharuch

Importers/consumers

PLY POINT 15/228, Kodampuzha Road Petta Feroke, Kozhikode Kerala	SRIVARI TRADERS 136/53B, Ooty Main Road Odanthurai Metupalayam Tamil Nadu
LABEL SALES CORPN Indradhanush Apartment Shope No. 7,8 & 9 T.D.Road Cochin, Kerala	KRISHNA PLYWOODS 34 Kamraj road Karur Tamil Nadu
THAMARAPALLY BROTHERS XL/499 Usha Kiran M.G.Road Ernakulam Kochi, Kerala	KALINGA IMPORTS & EXPORTS Pvt. Ltd 18/777 Kallai Road Calicut Kerala
JACSONS VENEERS AND PANELS P.LTD XL/499 Usha Kiran M.G.Road Ernakulam Kochi, Kerala	VICTORY PLYWOOD DISTRIBUTORS R.No.148, CE-34/640 Stadium Complex Kannur Kerala
MATHEWSONS EXPORTS & IMPORTS P.LTD	FEROKE BOARDS LTD VP 4/394, P>O. Kaarad

44/2158, First Floor Mathewsons Bldg., Kaloor Cochin, Kerala	Faroke College Via- Malappuram Kerala
R.J.METALS XL/4039 Faba Complex Jews Street Ernakulam Cochin, Kerala	

Exporters

Bripanel Industries Sdn Bhd Bukit Pasir Industrial Estate Muar, Johor Malaysia	Green River Panels (Thailand) Co. Limited 222 Moo 4, T. Thachang, A. Bangklum, Songkhla, Thailand Zip: 90110
Bripanel Industries Sdn Bhd Bukit Pasir Industrial Estate Muar, Johor Malaysia	Genetic Corporation Limited 778, (Warehouse 7), Charoennakorm Road, Bangpakok, Ratburna Bangkok – Thailand
Biz Supply Company Limited 234-Room A108, Raja Resort Building, Soi Ratchada 16, Ratchadapisek, Hukiawang, Bangkok – Thailand	Pfleiderer AG Corporate Human Resources Ingolstadter str. 51 D 92318 Neumarket - Germany
Thermopal GmbH Wurzacher Str. 32 88299 Leutkirch im Allgäu Germany	Wilhelm Mende GmbH & Co. P.O. Box 1513 37505 Osterode - Germany
Tafisa SA Ronda de Poniente, 6-B, Centro Empresarial EURONOVA, Tres Cantos 28760 Madrid- Spain	Annovati Gruppo Trombini Spa 10060 Frossasco (TO)- Italy -Via Piscina 13
Chimica Pomponesco S.p.A Via delle Industrie 1, Pomponesco - 46030, Italy	FINSA Scariff, Co Clare, Ireland
Linopen NV	Balkan SA

Ooigemstraat 16 8710 Wielsbeke - Belgium	PO Box 10310, Thessalonikis-Verolas Rd., Thessaloniki, GR-570 11, Greece

(vii) Questionnaire has also been sent to all known domestic producers, known exporters & known importers/consumers and they are being advised to submit their response within 30 days.

(viii) The information being called from the foreign producers, Indian importers/consumers, Indian Producers and other interested parties shall be considered for final determination.

2. Views of domestic industry

The domestic industries viz. M/s. Shirdi Industries Ltd and M/s Bajaj Eco-Tec Products Ltd and supporters constituting major share of domestic production of the product made following submissions:

(i) The product under consideration in the present investigation is "Particle Board, Oriented Strand Board (OSB) and similar Boards (for example, Waferboard) of Wood or other Ligneous Materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances [hereinafter referred to as particle board or said product], falling under Customs Tariff subheading 4410." However, particle boards laminated with veneer or papers or decorative laminate are beyond the scope of the proposed product subject to safeguard duty. The product is also known by a number of commercial names, which includes Plain/Raw/Colored Particle/ Fiber Particle/ Bagasse/ Bamboo/ Jute/ Panel board. The product is classifiable under sub-heading No. 4410 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975.

(ii) Imports of the product concerned into India, which was 5362 MT/month in 2005-06, 4752 MT/month in 2006-07. In 2007-08 it increased to 5429 MT/month and after that increased to 9180 MT/month in April08-Dec08 with increase in import prices. The domestic industry argued that the domestic prices were lower than import prices during the period. With the start of current recession, imports started increasing rapidly.

(iii) Unforeseen circumstances is in terms of current unexpected and uneven global economic recession has led to significant reduction in global demand for the product, resulting in plummeting prices of imports and resultantly sudden surge in imports into India, which is still witnessing positive growth.

(iv) As a result of significant increase in imports, there has been significant fall in domestic production, sales and capacity utilization of product covered during the recent period.

(v) The applicants requested for safeguard duty for two years. Further, in view of critical circumstances, applicant has requested for immediate imposition of provisional safeguard duties.

(vi) Safeguard duty must be imposed on imports from all developing countries such as Malaysia, Thailand, Bangladesh, Sri Lanka, South Africa, Nepal, as all these countries have either in the past or at present exported the subject goods in significant volumes. Further, these countries have significant potential to export the product in future as well. In particular, safeguard duty must be imposed on imports from South Africa and Indonesia, given that the producers in these countries have very recently booked huge orders for supply of the said product and the shipments for these have already started arriving in India.

3. **Finding of the DG**

(A) The issue of imposition of immediate safeguard measures was examined. It has been found that a total of 168 safeguard initiations were reported to the WTO between 29.03.1995 to 12.11.2008. It has been observed that provisional safeguard measures have invariably been recommended/imposed most expeditiously. In fact, in several cases provisional safeguard measures have been recommended on the same date as the date of initiation of the investigation. The Rule 9 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 notified vide Notification no. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997 prescribes that the Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury. The principles governing investigations have been provided under rule 6 of the Safeguard Rules, which is independent to Rule 9. Rule 15 of the Safeguard Rules provides for refund of differential safeguard duty in case of safeguard duty imposed after conclusion of the investigation is lower than the provisional duty already imposed or collected. This implies that if the DG eventually recommends not to impose safeguard duty, the entire interim safeguard duty recommended and collected shall be refunded. The harmonious reading of Rule 6, 9, and 15, of the said Rules leads to a conclusion that the Rules provide for expeditious recommendation of provisional safeguard duty based on preliminary finding and refund of differential duty in case it is ascertained that the duty imposed after conclusion of the investigation following investigation process and natural justice as enshrined in the Rule 6 is lower than provisional safeguard duty. However, in critical circumstances, any delay in imposition of provisional safeguard duty may cause damage, which

would be difficult to repair. Accordingly, it was considered prudent to analyze circumstances to assess whether the same falls in the category of critical circumstances calling for immediate imposition of safeguard duty.

(B) **Product under consideration**: - The product under consideration in the present investigation is "Particle Board, Oriented Strand Board (OSB) and similar Boards (for example, Waferboard) of Wood or other Ligneous Materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances [hereinafter referred to as particle board or "the said product"], falling under Customs Tariff subheading 4410." However, particle boards laminated with veneer or papers or decorative laminate are beyond the scope of "the said product" subject to safeguard duty. The product is also known by a number of commercial names, which includes Plain/Raw/Coloured Particle/ Fiber Particle/ Bagasse/ Bamboo/ Jute/ Panel board. The product is classifiable under sub-heading No. 4410 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975.

(C) **Domestic Industry**: - There are several producers in India having capacity to produce the product under consideration, namely M/s Shirdi Industries Ltd, M/s Bajaj Eco-Tec Products Ltd, M/s Novapan Industries Ltd, M/s Archidply Industries Ltd, M/s Paralam Global Pvt.Ltd, M/s Patel Kenwood Pvt.Ltd, M/s Darshanboard Lam Ltd, M/s Shiv Dhan Boards Pvt.Ltd, M/s Bakelit Hylam Ltd and M/s Greenply Industries Ltd. The petition has been filed by M/s Shirdi Industries Ltd, and M/s Bajaj Eco-Tec Products Ltd. M/s Novapan Industries Ltd, M/s Archidply Industries Ltd, M/s Paralam Global Pvt.Ltd, M/s Patel Kenwood Pvt.Ltd, M/s Darshanboard Lam Ltd, M/s Shiv Dhan Boards Pvt.Ltd, M/s Bakelit Hylam Ltd and M/s Greenply Industries Ltd. have supported the petition. The applicant and supporters form a major share of the Indian production.

(D) **Increased imports in absolute term**: - The applicants provided information on imports as compiled by the DGCI&S for the period upto Dec., 2007. Information for the subsequent period is based on information compiled by IBIS. Both the information were made available on transaction by transaction basis. Since this information included imports of various goods, the information was segregated into imports of the product under consideration and other products and information relating only to the product under consideration has been considered. Imports of the product under consideration are as given in the following table:

	Imports volume	Imports per month	Increase/ decline vis-à-vis previous year	Indian production	Indian production per month	Imports in relation to production
	CBM	CBM		CBM	CBM	%

2005-06	64,343	5,362		66,707	5,559	96.46
2006-07	57,030	4,752	-11.4%	101,331	8,444	56.28
2007-08	65,152	5,429	14.2%	130,887	10,907	49.78
April-Dec 08	82,621	9,180	69.1%	107,807	11,979	76.64

It is thus observed that the imports of the product under consideration have shown sudden, significant, unexpected rapid increase. Moreover, it is also seen that despite some increase in production in April'08 & Dec'08 the Indian industry has lost significant market share to import or in demand during the recent period. This is because imports took away major share of increased demand.

(E) **Increased imports in relation to production & consumption in India** – It was examined whether the imports of the product under consideration increased in relation to production and consumption in India. The table below gives factual position

Year		2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08
Imports (MT)	1	64,343	57,030	65,152	82,621
Indian production (MT)	2	66,707	101,331	130,887	107,807
Total quantity Available (MT)	3=1+2	131,050	158,360	196,039	190,428
Share of import %	4=1/3	49.10	36.01	33.23	43.39
Share of domestic production %	5=2/3	50.90	63.99	66.77	56.61
Sales of domestic industry	6	20,143	44,780	64,710	43,665
Captive consumption	7	45,849	59,803	62,403	64,906
Consumption in India	8=1+6	130,335	161,613	192,266	191,193
Market share in consumption/demand					
Import	9=1/8	49.37	35.29	33.89	43.21
Indian Industry including captive	10=(6+7)/8	50.63	64.71	66.11	56.79

It is seen that the volume of imports remained almost constant between 2005-06 and 2007-08 ranging between 57,000 to 65,000 CBM an average of 61,000 CBM or 5000 CBM per month. Even though the imports were at lower price even in this period, domestic industry was competing and expanding with these imports by aggressively pricing its product, even below the cost of production (as may be seen from the analysis of profit/loss given separately). The domestic industry was thus able to retain the growth in market in its fold at the cost of financial losses. Domestic industry argued that the imports are being made by those parties who are laminating the plain boards and thereafter

competing with the domestic industry in the market. At the same time, these parties are buying plain boards from the domestic industry, laminating the same and thereafter competing with the domestic industry. Thus, till 2007-08, even when imports were being reported, the same were at low prices, the volume was not showing surge. However, in the current period, i.e., April-Dec., 2008, there is sudden and significant surge in the volume of imports from an average of about 61000 CBM between 2005-06 & 2007-08 to 82621 CBM in just nine months period (an increase of about 69% as compared to both preceding three years and preceding year itself). With this surge in imports, the domestic producers have not been able to increase their production in proportion to the increase in demand, even when sufficient capacities exist within the Country. Resultantly, while the market share of the imports was falling upto 2007-08 (with the aggressive pricing of the domestic producers), the surge in imports has led to significant increase in market share of imports in April-Dec., 08 period in relation to consumption in India and consequent decline in the market share of the domestic producers. and share of imports increased both in relation to Indian production and consumption in April'08-Dec'08. The market share of imports in total availability has gone up from 34% in 2007-08 to 43% in April-Dec'2008 (i.e., an improvement of above 27% in just nine months period), while the same in terms of demand/ consumption in India increased from about 50% to 65% (again about 33% increase in nine months period). It is thus noted that while the share of imports declined significantly between 2005-06 and 2007-08 both in absolute terms and in relation to total availability and consumption in India due to aggressive pricing by the domestic producers (even at loss making prices), the volume of imports surged in current period both in absolute terms and in relation to total availability and consumption in India. The imports have surged even when domestic producers continued to sell the product at similar loss making prices.

It is thus seen that imports have increased both in absolute terms as also in relation to production and consumption in India, causing serious injury to the domestic industry.

(F) **Unforeseen developments:-** From the information relating to imports, and as stated hereinabove, it is seen that the import of the product has increased very significantly. Applicants claimed, based on well recognized international trade journals/news bulletins in this trade that (a) global producers of the product are faced with significant decline in demand of the product, (b) the decline in demand of the product is due to sudden and unexpected current global economic recession situation, (c) subject goods production is such that the producers cannot regulate the production as and when desired (it is not switch on switch off kind of activity), (d) global producers are under tremendous pressure to sell the material, (e) given highly price sensitive Indian market, once low priced supply offers are made by one producer, others have no option but to reduce their prices. Thus, it is seen that with the current

economic recession, demand of product under consideration has declined internationally, which has resulted in unprecedented and uneven surplus capacities with global producers of the product under consideration. This has forced the global producers to search for markets. This has led to sudden and significant drop in the prices of the product. Vast Indian highly price sensitive market is becoming a choice for the foreign producers, resulting in huge surge in low priced imports.

It is concluded that the above constitutes unforeseen developments within the meaning of the Indian safeguard laws and WTO Agreement on Safeguards.

(I) **Serious injury and threat of serious injury**:- It has been examined whether increased imports of the said goods are causing serious injury to the domestic industry. It was also examined whether the increased imports of the said goods are threatening serious injury to the domestic industry. The imports of the said goods have shown sudden and significant surge in absolute terms and in relation to production and consumption in India. It is noted that import volumes increased significantly. Domestic industry has been forced to lower its prices as customers were seeking import parity prices. Domestic industry has been forced to sell at prices below its cost.

(a) The Rules provide as under with regard to serious injury to the domestic industry

> *The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the principles laid down in Annex to these rules.*

Annexure to the Rules provides as follows.

> *In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a demonstrate industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.*

As held by the WTO, it is not necessary that each and every parameter listed under the Rules should show injury. Even if one or more parameter show significant deterioration in performance, it may be sufficient enough to hold that the domestic industry has suffered serious injury.

As stated hereinabove, the imports of the product under consideration have shown sudden and significant surge. The rate and amount of increase in imports is significant in absolute and relative terms. With regard to impact of the increased imports causing injury to the domestic industry have been analyzed below:

(b) Price effect – In order to determine whether imports of the product under consideration are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the landed price of imports have been compared with the selling price of the domestic industry. Applicants claimed that imports of the subject goods are largely being made by those parties who are buying plain board from domestic and imported sources and thereafter laminating and selling the same in the market. Therefore the domestic producers have no option but to match the import prices. Applicants claimed that in fact the domestic producers were so far able to contain the volume of imports at similar levels by aggressively pricing their product. It is seen that the volume of imports was static between 2005-06 and 2006-07. At the same time, the domestic producers are facing severe financial losses. It is because of these significant financial losses that the domestic producers were able to keep the volume of imports at similar levels. However, even when the domestic producers have not increased their prices (in fact, the prices have declined in April-Dec., 08 period), the volume of imports has surged in April-Dec., 2008 period. It is noted that there is significant increase in imports in spite of domestic producers attempting to match the prices and significant unutilized capacities within the Country. It is thus seen that the imports are forcing the domestic producers to sell the product at prices much below cost of production, leading to significant financial losses.

As a result of low prices imports, the domestic industry has been forced to keep its prices low, far below the cost of production. It is noted that inspite of so low prices and significant additions to the capacity in the Country, the volume of imports have surged in the current year. It is thus seen that the imports are adversely impacting the prices of the product in the domestic market in the Country and also leading to losses to such as extent that the domestic prices have been below cost prices. Had the imports not surged due to low prices, the capacity utilization of the domestic producers would have been much higher and their costs & consequently losses would have been much lower.

It is thus seen concluded that the imports are leading to serious injury to the domestic producers in terms of low prices.

(c) **Production**: Production of the said product by the Indian producers increased from 66707 CBM in 2005-06 to 101331 CBM in 2006-07 and further to 130887 CBM in 2007-08. The production marginally improved to 107807 CBM in April-Dec., 2008 [9 months period].

Year	2005-06	2006-07	2007-078	April-Dec'08

Capacity (CBM)	132,380	227,500	289,000	312,625
Production (CBM)	66,707	101,331	130,887	107,807
Production (Per Month)				
➢ Applicants	-	2,667	27,411	33,524
➢ Supporter	66,707	98,664	103,476	74,283
➢ Applicants + supporter	5,559	8,444	10,907	11,979

It is noted that fresh capacities have been added both by the applicant companies and other Indian Producers. Further, demand for the product has also shown an increase. Therefore, some production increase was a natural phenomena. It is however noted that the rate of increase in production was even below the rate of increase in demand. In other words, the increased demand was largely taken away by the imports, thus preventing the domestic industry from utilizing its capacities.

(d) **Capacity utilization**: It is noted that the applicants and other Indian Producers added fresh capacities in the Country. The capacity addition was therefore compared with the current and potential demand for the product in the Country. The applicants claimed that demand for subject goods was showing an increase of over 30% so far and the increase in future would at least be higher than this rate, given that consumption of natural wood must be reduced and engineered wood must be increased, having regard to domestic and global environmental issues. Thus, the increase in capacities were clearly in response to current and potential demand of the product in the Country. It is however found that capacity utilization of both the applicants and the Indian producers declined as would be seen from the table below. Further, it is found that the capacity utilization drastically declined in April-Dec., 2008, with the sudden significant increase in the imports.

Year	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec'08
Capacity of Indian Producers	132,380	227,500	289,000	312,625
Demand/consumption	130,335	161,613	192,266	191,193
Capacity Utilization (%)				
➢ Applicants		23.19	39.73	31.81
➢ Supporter	50.39	45.68	47.03	35.84
➢ Applicants + supporter	50.39	44.54	45.29	34.48

The level of capacity utilization that the domestic producers as a whole would have achieved in the absence of surge in imports was ascertained. For the purpose, increase in imports in April-Dec., 2008 was added to the production of the domestic producers on proportionate basis. It was noted that in April-Dec., 2008, the domestic producers have maintained similar level of capacity utilization as was achieved in 2007-08. It is thus concluded that the decline in capacity utilization in April-Dec., 2008 was due to surge in imports.

In a situation where demand for the product increases and the domestic industry's utilization of capacities declines even when the domestic industry has been selling the product at comparable prices clearly shows that the domestic industry is suffering serious injury.

(e) **Domestic Sales** – Domestic sales of said product by the Indian Producer increased from 20143 CBM in 2005-06 to 44780 CBM in 2006-07 and further to 64710 CBM in 2007-08. The sales have drastically declined to 43665 CBM in April-Dec., 2008 (after considering that these are only for 9 months). The decline in domestic sales is inspite of significant increase in demand and low prices being offered by the domestic producers. As far as applicants are considered, it is noted that even though the applicants' sales have increased throughout, the increase in their sales is also less than increase in demand in the Country. Moreover, the applicants include a company who had entered the market primarily in current period (and therefore would have achieved some sales even at the cost of loss making sales). The applicants claimed that they have been offering the prices in competition to the import prices to the same or similar set of consumers. Thus, even when the prices being offered are comparable, the sales volumes have not been increasing in proportion to the increase in demand. On the contrary, the other Indian Producers lost sales. On overall basis, the Indian Producers lost sales volumes in April-Dec., 2008 with surge in imports even when demand was increasing and Indian Producers are selling at loss making prices.

Year	2005-06	2006-07	2007-078	April-Dec'08
Sales (CBM)	20143	44780	64710	43665
➢ Applicants	0	2366	8206	10066
➢ Supporter	20143	42414	56504	33599
Sales per month (Applicants + supporter)	1679	3732	5393	4852

(f) **Market share:** The applicants and supporters including captive had a market share of 50.63% during 2005-06, 64.71% in 2006-07 and 66.11% in 2007-08. Market share, however, declined steeply to 56.79% in April-Dec'08. The increase in market share of domestic producers between 2005-06 and 2007-08 is addressed by addition of new capacities in the Country and Indian Producers meeting such demand. The decline in market share of the domestic producers and increase in the market share of imports in April-Dec., 2008 period, however, was on account of sudden & significant surge in imports.

Year	Imports Market share	Market Share in Demand Applicants + Supporter
2005-06	50.63%	49.37%

2006-07	64.71%	35.29%
2007-08	66.11%	33.89%
April-Dec 08	56.79%	43.21%

(g) **Profit/loss:** Profitability of the domestic industry has fallen significantly. Even when the domestic industry was earlier also suffering financial losses for quite some time (applicants claimed that the Indian Producers have been competing with the imports for quite some time and low prices maintained by the Indian Producers have so far been preventing surge in imports), the losses increased significantly now. Further and more importantly, inspite of loss making prices being offered by the domestic industry, it is noted that the volume of imports surged.

	Units	2005-06	2006-07	2007-08	April08–Dec08
Profit/loss					
Per unit of sales	Rs./CBM	(7,072)	(3,965)	(4,502)	(4,720)
➢ Applicants	Rs. Lacs	-	(263)	(949)	(1,327)
➢ Supporters	Rs. Lacs	(1,425)	(1,512)	(1,964)	(734)
➢ Applicants & supporters	Rs. Lacs	(1,425)	(1,775)	(2,913)	(2,061)

Note Figures in bracket implies financial losses

(h) **Employment**: Applicants have claimed that due to stringent rules & regulations in the Country, permanent employment in the companies could not be reduced in a short time frame.

(i) **Productivity:** Productivity per employee of the domestic industry moved in tandem with production. Productivity declined over the period. However, even if productivity is considered at best achieved level, applicants would have suffered financial losses.

(j) **Inventory:** Inventories of the said product with the applicants have increased over the period. Applicants claimed that they are regulating production considering the demand of their product in the market.

(k) **Conclusion on serious injury** – it is noted that even when the domestic producers have been offering so low prices (even below cost price) that they have been suffering financial losses in production & sales of the subject goods, the imports have surged in current period given low import prices. Resultantly, even when domestic producers have enhanced/added capacities, they have not been able to increase their production in proportion to the increase in demand and the increased demand by almost totally fed by imports having landed at continuously low price. On the contrary, there is a loss of production and sales volumes. Further, whereas market share of the domestic

producers was increasing between 2005-06 and 2007-08, with the surge in imports in April-Dec., 2008, whereas market share of the imports increased, that of domestic producers declined. Domestic industry continued with significant financial losses and such losses increased significantly in the most recent period, leading to negative return on capital employed.

(J) **Causal Link between increased imports and serious injury or threat of serious injury:-**

From the information relating to surge in imports and serious injury, it is seen that the volume of imports was more or less constant between 2005-06 and 2007-08. Even though the domestic manufacturers were not able to recover their costs and were selling the product at loss making prices, the domestic producers were able to increase their production, sales & capacity utilization and the volume of imports remained at similar level. Resultantly, market share of the imports declined and that of domestic producers increased. This clearly addresses the loss making sales by the domestic producers even in the past and consequent similar level of imports on the one side and increasing sales of the domestic producers on the other side. However, with the sudden and significant surge in imports in April-Dec., 2008 period, and even when the domestic producers added further capacities; production, sales, capacity utilization and market share of the domestic producers declined significantly. Profitability of the domestic industry continued to remain significant adverse, leading to continued significant financial losses. Thus, with the surge in imports, performance of the domestic industry severely deteriorated. It is thus observed that the domestic industry has suffered serious injury because of increased imports.

(K) **Other factors** : It is noted that no other factor appears to have caused injury to the domestic industry.

(L) **Developing nations:** Share of imports in India. There have been imports from Malaysia, Thailand, Spain and Bangladesh are more than 3% as shown below:

Source	Qty CBM	Share
Above 3%		
Malaysia	50402	61.00%
Thailand	15397	18.64%
Bangladesh	4141	5.01%

Since exports of the product from all other developing countries taken together is below 9% of total imports into India, all developing nations as nctified vide Notification No. 103/98 dated 12.12.1998 (as amended), except Malaysia, Thailand and Bangladesh may not attract safeguard duty. However, in case exports of the said product from any

other developing country increases beyond 3% of total imports of the said product in India in any single month during the period for which safeguard duty is in force, a review as contemplated under the rules may be undertaken to decide whether imports from such country should also be subjected to safeguard duty.

(M) **Adjustment plan:** The Domestic industry hopes to reduce its cost of production significantly within two years by taking following measures –

Reduction in wood consumption and wood prices – The applicants have claimed that they are in discussions with the machine suppliers for possible reduction in wood consumption and wood prices. Applicants claimed that they have given to understand that wood consumption of the Foreign Producers is lower than what is being consumed in India. Applicants have also been given to understand that the wood prices are lower in foreign countries than in India.

Reduction in conversion cost – The domestic industry is in discussions with the technology suppliers for taking steps to reduce the conversion costs.

The adjustment plans given by the applicants were examined. It was noted that with the proposed adjustment plans, the applicants would be able to reduce their costs substantially, as would be seen from the table below –

	Wood	Resin	Power	Conversion cost
At present				
➢ Consumption	1.48	0.12	280	
➢ Rate	2500	17000	4.5	
Planned/targeted				
➢ Consumption	1.332	0.108	252	
➢ Rate	1993	15000	4.11	
Impact on cost				
➢ Current	3,700	2,040	1,260	8,260
➢ Proposed	2,655	1,620	1,036	7,434
Net saving to the industry				2,515

It is thus noted that the applicants have drawn an adjustment plan that would make them competitive. The adjustment plan laid down by the applicants would be investigated further.

(N) **Critical circumstances**: - The serious injury suffered by the domestic producers has explained in detail in preceding paras. With the sudden surge in imports, sales and consequently production & capacity utilization of the domestic producers have very steeply declined. In fact,

capacity utilization of the domestic producers have fallen to very low levels. The surge in imports is therefore leading to idling of production capacities in India. The domestic producers have been suffering significant financial losses. Production of the subject goods is with a large number of companies in India and therefore surge in imports can lead to plant closures.

(O) In view of the above, critical circumstances exists justifying imposition of provisional safeguard measures immediately in order to save the domestic producer from damage, which would be difficult to repair if the application of safeguard measure is delayed.

(P) **Conclusion and recommendation:** - (a) On the basis of above preliminary finding, it is seen that increased imports of the said product have caused serious injury. Critical circumstances, where any delay in application for safeguard measures would cause damage which it would be difficult to repair, exists necessitating immediate application of provisional safeguard measures for a period of 200 days, pending final determination of serious injury and threat of serious injury. Considering the average cost of production of the domestic producers (confidential), a reasonable return on capital employed(ROCE), the present level of import duties and the average import price of the product under consideration, the end user interests, a provisional safeguard duty of 30% ad valorem for imports of said products considered to be the minimum required provisional safeguard duty to protect the interests of domestic producers and all other interested parties and is recommended to be imposed on imports of Particle Board, Oriented Strand Board (OSB) and similar Boards (for example, Waferboard) of Wood or other Ligneous Materials, also known as Plain/Raw/Coloured Particle/ Fiber Particle/ Bagasse/ Bamboo/ Jute/ Panel Boards, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances [hereinafter referred to as particle board or said product], falling under Customs Tariff subheading 4410. However, no safeguard duty is proposed to be levied on imports of particle boards laminated with veneer or papers or decorative laminate.

(b) Moreover, for the import for which anti dumping duty is or would be applicable, safeguard duty for such import will be the difference of the provisional Safeguard duty proposed in para P (a) above and the applicable anti dumping duty. Further, for the import for which applicable anti dumping duty would be more than the provisional safeguard duty, no safeguard duty shall be levied on such import.

(Q) **Further process:**

(a) The information provided by various parties may be subject to verification wherever necessary for which they will be informed separately.

(b) A public hearing will be held in due course before making final determination, for which date will be informed separately.

(c) Interested parties may make their views known to the DG on this preliminary finding on or before 05th June, 2009.

[F. No. D-22011/26/2009]
S. S. RANA, Director General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.